संख्या- 8/2021/725/12-3-2021-100(49)/2017

प्रेषक

डा0 राम चन्द्र शुक्ल,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

कृषि अनुभाग-3 लखनऊ:: दिनांक: ८ जून, 2021

विषय:- नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-आत्मा/114/एन.एम.ए.ई.टी./सामान्य/2021-22, दिनांक 25.05.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी योजना के अन्तर्गत संचालित एन.ई.जी.पी.ए. योजना हेतु धनराशि रू0 10.00 लाख (रू0 दस लाख मात्र) निम्नानुसार शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख ₹ में)

लेखाशीर्षक	मानक मद	प्राविधान	**NeGPA** योजनान्तर्गत प्रस्तावित धनराशि
अनुदान संख्या-**11** के लेखा शीर्षक **"2401-**फसल कृषि कर्म**-109-**विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण**-01-**केन्द्र प्रायोजित योजनायें**-0101-**नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी के नेशनल ई-गवर्नेन्स प्लान इन एग्रीकल्चर **(NeGPA)**	58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	*8712.28*	**10.00**
	योग	*8712.28*	*10.00*

(रू0 दस लाख मात्र)

2- स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार के दिशा-निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।

4- सेवाओं के भुगतान से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि आउटसोर्सिंग के सम्बन्ध में जारी निर्देशोर्ं एवं वित्त/श्रम विभाग इत्यादि द्वारा जारी सुसंगत नियमों का अनुपालन कर लिया गया है।

5- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है तथा आय-व्ययक में प्राविधानित है। किसी अन्य भिन्न मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा। यदि किसी मद में व्यय करने की अनुमति भारत सरकार द्वारा कार्य योजना में प्राप्त न हो तो उसकी सूचना शासन को उपलब्ध करायी जाय।

6- स्वीकृति की जा रही धनराशि का आहरण एक मुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा प्रस्ताव में उल्लिखित आकड़ों की शुद्धता सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व कृषि निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ का होगा।

7- प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व कृषि निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ का होगा।

8- प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति में उल्लिखित केन्द्रांश/बजट प्राविधान/धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ का होगा।

9- स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय/क्रय नियमों/प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए किये जाने का पूर्ण उत्तर दायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ का होगा तथा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2020/बी-1 -149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020, कार्यालय ज्ञाप सं0-4/2020/बी-1-192/ दस-2020-231/2020, दिनांक 07.04.2020 तथा कार्यालय ज्ञाप सं0-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020, दिनांक 11.04.2020 एवं शासनादेश सं0-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020, दिनांक 18.05.2020 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-3/2021/बी0-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 के निर्देशों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10- उक्त लेखाशीर्षक/मानकमद में पूर्व में अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन/भारत सरकार को उपलब्ध कराने के उपरांत ही स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय किया जाएगा। वस्तुओं के क्रय विषयक दिशा-निर्देशों, सुसंगत वित्तीय निमयों एवं स्टोर पर्चेज रूल्स का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा तथा सेवाओं के भुगतान से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आउटसोर्सिंग के सम्बन्ध में जारी निर्देशोर्ं एवं वित्त/श्रम विभाग द्वारा जारी सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11- प्रश्नगत धनराशि का व्यय वित्त विभाग/सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग के संगत शासनादेशों के अनुसार जेम पोर्टल/वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार क्रय आदि की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

12- स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित/व्यय करने के पूर्व अपने स्तर से यह सुनिश्चित करेंगे कि भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार प्रश्नगत योजना की कार्ययोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है तथा इसकी धनराशि आहरित/व्यय करने हेतु अधिकृत है।

13- स्वीकृत धनराशि का व्यय नेशनल मिशन आन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नालाजी के अन्तर्गत संचालित एन.ई.जी.पी.ए. योजना अन्तर्गत गाइड लाइन तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार ही किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in

14- वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/14, दिनांक 22.7.2014 में निहित शर्तो तथा वित्त आय-व्ययक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस- 2014-10-77, दिनांक 26.8.2014 के प्रस्तर-5 एवं 9 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय करने से पूर्व कड़ाई से सुनिश्चित कराया जायेगा।

15- स्वीकृत धनराशि संभावित व्यय की फेजिंग, कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार की जाय, जहां तक संभव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय। आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबंधन (कैश मैनेजमेंट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। शासन की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर कोई भी धनराशि बैंक खाते में नही ंरखी जाएगी।

16- स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि के व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/ दस-16/94, दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टेण्डड्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

17- वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-285/दस-2012-10(29)/2011टी.सी.-।।, दिनांक 29 मई, 2012 द्वारा समस्त भुगतान NEFT/RTGS के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली लाभाथ्र्ाी के खाते में सीधे क्रेडिट किये जाने के निर्देश दिये गये हैं अत: उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान तद्नुसार सुनिश्चित किया जाय। भारत सरकार के पत्र संख्या-1-11011/58/2013-डी0बी0टी0 दिनांक 25.2.2015 द्वारा डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डी.बी.टी.) के अन्तर्गत नकद धनराशि व्यक्तिगत लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किये जाने का निर्देश दिया गया है। अत: स्वीकृत धनराशि का तद्नुसार भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

18- कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ जनता के बीच योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार सुनिश्चित करेंगे। उक्त योजना का पूरा विवरण वेवसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा। योजना का Impact assessment कराया जायेगा और उसका समुचित फीडबैक दिया जायेगा। योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना की कार्यो की पूर्णता का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाय। लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की जाय तथा लाभाार्थियों की सूची एवं उन्हें दिये गये लाभ का रेण्डम आधार पर भौतिक सत्यापन सुनिश्चित कराया जाय। लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु मुख्यालय/जनपद स्तर के संबंधित परियोजना अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

19- उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 में उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित अनुदान संख्या/लेखाशीर्षक/सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा। प्रश्नगत धनराशि का आहरण/व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि योजना के कार्यान्वयन एवं वित्त पोषण के लिए केन्द्र सरकार की वचनबद्धता है। अत: प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश के रूप में उक्त धनराशि अवमुक्त/पुनर्वेधित कर दी गयी है तथा व्यय हेतु उक्तानुसार उपलब्ध है।

20- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020, कार्यालय ज्ञाप सं0-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020, दिनांक 07.04.2020 तथा कार्यालय ज्ञाप सं0-5/2020/ बी-1-196/दस-2020-231 /2020, दिनांक 11.04.2020 एवं शासनादेश सं0-6/2020/बी-1-218 /दस- 2020-231/2020, दिनांक 18.05.2020 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-3/2021/बी0-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 राम चन्द्र शुक्ल)
उप सचिव।

सं0- 8/2021/ 725(1)/12-3-2021-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4- संयुक्त सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5- अवर सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
6- समस्त मण्डलायुक्त को इस आशय से प्रेषित कि उक्त की प्रतियां अपने अधीनस्थ समस्त जिलाधिकारियों को इस निर्देश के साथ कि वे अपने जनपद के समस्त जनप्रतिनिधियों (मा. मंत्रीगण, मा. सांसद, मा. विधायक आदि) को शासनादेश की प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि जनप्रतिनिधियों द्वारा योजना का लाभ पात्रों को दिलाये जाने में सहयोग किया जा सके।
7- अपर कृषि निदेशक (प्रसार), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
10- सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय) कृषि भवन, लखनऊ।
11- वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-1/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
12- शासनादेश की वेबसाइट http://shasanadesh.up.nic.in पर अपलोड करने हेतु।
13- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(डा0 राम चन्द्र शुक्ल)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in